कार्यालयः जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,पलामू।

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

दूरभाष सं0–06562–224033(का)/224044(आ) Email ID- dc-pal@nic.in

77

11.10.18

प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की स्वीकृति एवं भुगतान ऑन लाईन/डिजीटल (On-Line/Digital) माध्यम से किया जाता है। पेंशन स्वीकृति के लिए आवेदक को झारसेवा पोर्टल पर स्वयं से या प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन समर्पित करना होता है। ग्रामीण आवेदकों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से योग्य आवेदक पेंशन से वंचित रह जाते हैं। उक्त समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि पलामू समाहरणालय में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत सिंगल विंडो सेंटर (Single Window Centre) खोला जायेगा, जहां पर पेंशन हेतु आवेदन एवं पेंशन से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

उक्त निर्णय के आलोक में पलामू जिला में पेंशन से वंचित योग्य व्यक्ति जिनको पेंशन के लिए आवेदन देने में समस्या आ रही है, वे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, बी0पी0एल0 संख्या का प्रमाण यदि हो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा हैं) दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि दिव्यांग हैं) एवं दो फोटो के साथ तथा वैसे लाभुक जिनका आधार एवं बैंक खाता से हो रहे भुगतान में कठिनाई के कारण पेंशन भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है, वे आधार कार्ड, सक्रिय एकल बैंक खाता एवं पूर्व में जिस खाता में भुगतान की गई हैं उसकी छायाप्रति के साथ कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वा0 से 2.00 बजे अप0 के बीच में सिंगल विंडो सेंटर में सम्पर्क करे। सिंगल विंडो सेंटर (Single Window Centre) नया समाहरणालय भवन ब्लॉक "A" भू–तल (Ground Floor) में स्थित जन–सुविधा केन्द्र पर उपलब्ध रहेगा।

9.10.18

उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 579 /दिनांक 09.10.2018

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को NIC के वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट www.prdjharkhand.in पर भी अपलोड कराने की व्यवस्था करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी, पलामू जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पलामू जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.10.18

उपायुक्त, पलामू।